न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारी— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2018/207 दायरा दिनांक 21.06.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 रामनिवास पुत्र स्व. डालूराम उम्र 41 वर्ष 2 गिरधारीराम पुत्र स्व. मोहनराम उम्र 35 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. हनुमानाराम पुत्र स्व. भागूराम 2. जगदीशराम पुत्र स्व. भागूराम 3. गीतादेवी पुत्री स्व. भागूराम 4. छोटीदेवी पुत्री स्व. भागूराम 5. दुर्गादेवी पुत्री स्व. भागूराम 6. रामचन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर 7. श्रवणराम पुत्र स्व. रामेश्वर 8. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामेश्वर 9. रूकमादेवी पत्नि स्व. रामेश्वर 10. माया गोदारा पुत्री स्व.गोपालराम नाबालिक जरिये कुदरती माता सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 11. धर्मवीर पुत्री स्व.गोपालराम नाबालिक जरिये कुदरती माता सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 12. सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 13. हीराराम पुत्र मोहनराम 14. रामाकिशन पुत्र मोहनराम 15. चेनाराम पुत्र मोहनराम 16. गिरधारी पुत्र मोहनराम 17. रूकमादेवी पत्नि रामेश्वर 18. भगवतीदेवी पत्नि रामाकिशन समस्त जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 19. मेनेजर साहब एस.बी.आई शाखा डीडवाना 20. मेनेजर साहब ना.स.भू.वि.बैक शाखा डीडवाना 21. मेनेजर साहब सी.बी.आई बैक शाखा मौलासर 22. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बन्टवारा हस्ब धारा

88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

1. वादीगण उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 व 12 व 14 ता 16 व 18 उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23.06.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, कुल रकबा 53 बीघा 03 बिस्वा,तथा मौजा जैतपुरा की शरहद के खेत ख.न. 244 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खेत ख.न. 507/231 रकबा 03 बीघा, खेत ख.न. 508/233 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा खेत ख.न. 231 रकबा 10 बीघा, खेत ख.न. 233 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खेत ख.न. 240 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 247 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 299 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा, खेत ख.न. 510/244 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा,कुल रकबा 88 बीघा 10 बिस्वा, जुमले रकबा 141 बीघा 13 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी के खेत हैं। नकल खतौनी सम्वत 2043—2046 तथा वर्तमान खतौनी सम्वत 2071—2074 की प्रमाणित प्रति दावा के साथ पेश है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 ने मुतनाजा अपनी पत्रिक जमीन का मौखिक बन्टवारा कर अलग—अलग काश्त करते आये हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौजा जैतपुरा की जमीन का कानूनी बन्टवारा कर अलग—अलग खातेदारी दर्ज करवाली गई है।नकल खतौनी पेश है।

मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, की खातेदारी अभी तक संयुक्त रूप से दर्ज है।जिसका कानूनी बन्टवारा नही हुआ है, इसलिए बन्टवारे का दावा पेश है।

मौजा बेडवा की मुतनाजा जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 16 के बन्ट में आई है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के मौजा जैतपुरा की जमीन बन्ट मे आई हुई है।जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 ने जरिये बन्टवारा अपने नाम अलग से दर्ज करली है।अब मौजा बेडवा की जमीन मे प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का कोई हक हिस्सा नही रहा है। मगर खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 ता 16 के जायज खातेदारी अधिकार खतरे मे पड गये है इसलिए मौजा बेडवा की मुतनाजा जमीन मे से प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व. भागूराम के वारिसान का नाम हटाया जाना जरूरी हो गया है।इसलिए घोषणा खातेदारी का दावा करना जरूरी हो गया है।

मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, की खातेदारी मे प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पिता स्व. भागूराम का नाम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

संयुक्त रूप से दर्ज है।मगर भागूराम पुत्र उगमाराम का स्वर्गवास हो गया है प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व.भागूराम के वारिसान व उत्तराधिकारी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 16 का हित एक ही है एक दुसरे के विपरित हक नही है मगर प्रतिवादी सख्या 06 ता 16 अभी सकुन्त पर हाजिर नही है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 06 ता 16 को प्रर्फोमा प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी रामनिवास ने खेत ख. न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा वाके शरहद बेडवा मे से अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 को बेचाण कर दिया इस कारण वादी रामनिवास के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 17 का नाम खातेदारी मे दर्ज हुआ है इस कारण प्रतिवादी संख्या 17 को पक्षकार बनाया गया है।

बन्टवारा प्रतिवादीगण स. 01 ता 18 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादीगण का अपने बढेरो के वक्त से कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादीगण की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इस लिए वादीगण अपने बन्ट व कब्जे काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करते है।

प्रार्थना वादी है कि
वाद की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 इस अमर की सादर फरमाई जावें कि मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, का कानूनी बन्टवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के बन्ट का घोषित किया जावे।

मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 की एकल खातेदारी घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व. भागूराम के वारिसान व स्व. भागूराम का नाम खातेदारी से हटाया जावे।अन्य अनुतोष बहक वादीगण हो दिलाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 23.06.2018 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 व 12 व 14 ता 16 व 18 ने राजीनामा पेश किया राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री हरदीनराम जाखड ने की व प्रतिवादीगण की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पहचान अधिवक्ता श्री राजेश राखेचा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, का कानूनी बन्टवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के बन्ट का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व. भागूराम के वारिसान व स्व. भागूराम का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।बैक से लिया गया ऋण की खातेदारी पक्षकारान के यथावत रखी जाती है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **23.06.2018** को कोर्ट कैम्प बेगसर में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/207** दायरा दिनांक **21.06.2018**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1 रामनिवास पुत्र स्व. डालूराम उम्र 41 वर्ष 2 गिरधारीराम पुत्र स्व. मोहनराम उम्र 35 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. हनुमानाराम पुत्र स्व. भागूराम 2. जगदीशराम पुत्र स्व. भागूराम 3. गीतादेवी पुत्री स्व. भागूराम 4. छोटीदेवी पुत्री स्व. भागूराम 5. दुर्गादेवी पुत्री स्व. भागूराम 6. रामचन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर 7. श्रवणराम पुत्र स्व. रामेश्वर 8. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामेश्वर 9. रूकमादेवी पत्नि स्व. रामेश्वर 10. माया गोदारा पुत्री स्व.गोपालराम नाबालिक जरिये कुदरती माता सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 11. धर्मवीर पुत्री स्व.गोंपालराम नाबालिक जरिये कुदरती माता सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 12. सुनिता चौधरी पत्नि गोपालराम 13. हीराराम पुत्र मोहनराम 14. रामाकिशन पुत्र मोहनराम 15. चेनाराम पुत्र मोहनराम 16. गिरधारी पुत्र मोहनराम 17. रूकमादेवी पत्नि रामेश्वर 18. भगवतीदेवी पत्नि रामाकिशन समस्त जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 19. मेनेजर साहब एस.बी.आई. शाखा डीडवाना 20. मेनेजर साहब ना.स.भू.वि.बैक शाखा डीडवाना 21. मेनेजर साहब सी.बी.आई बैक शाखा मौलासर 22. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बन्टवारा हस्ब धारा

88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 23.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री,वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 व 12 व 14 ता 16 व 18 उपस्थित।। मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा बेडवा पटवार हल्का बेगसर की शहरद मे खेत ख.न. 03 रकवा 18 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 02 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खेत ख.न. 253 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, का कानूनी बन्टवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 17 के बन्ट का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 स्व. भागूराम के वारिसान व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

स्व. भागूराम का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।बैक से लिया गया ऋण की खातेदारी पक्षकारान के यथावत रखी जाती है।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–............. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06..2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– --		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
थ्मजान			थ्मजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner